

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या— 82/2019

निर्णय दिनांक – 31.05.2019

1. पानीबाई पत्नि नानुराम जाति की आयु वयस्क निवासी पुनावली तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
2. नारू पिता चम्पा जाति कीर आयु वयस्क निवासी साकरिया तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
3. कुशबा पिता चम्पा जाति कीर आयु वयस्क निवासी साकरिया तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
4. किशना पिता मगना जाति कीर आयु वयस्क निवासी साकरिया तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।

– प्रार्थीगण

// बनाम //

1. गोरधन पिता श्रीलाल जाति चमार आयु वयस्क निवासी साकरिया तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
2. ओमप्रकाश पिता भेरूलाल जाति कीर आयु वयस्क निवासी साकरिया तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
3. अशोक पिता जगदीश जाति कीर आयु वयस्क निवासी साकरिया तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा साकरिया पटवार हल्का रानीखेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा की प्रार्थी की खाता संख्या 106 की आराजी नं0 208 रकबा 0.3300 हैक्टेयर आराजी न0 209 रकबा 0.3300 हैक्टेयर आराजी नं0 345 रकबा 0.0300 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.6900 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 300/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा साकरिया पटवार हल्का रानीखेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा की प्रार्थी की खाता संख्या 106 की आराजी नं0 208 रकबा 0.3300 हैक्टेयर आराजी न0 209 रकबा 0.3300 हैक्टेयर आराजी नं0 345 रकबा 0.0300 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.6900 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 31.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

